

झा0 खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद

पत्रांक -टी0पी0...34.../न0नि0

चास, दिनांक 03/10/2016

सेवा में,

मालती ई सी डेन्सी इस्का प्रोजेक्ट प्रा0 लि0, चास चौदारी डी तरफ से डायरेक्टर जी अजय श्री/श्रीमती कुमार पिता श्री जय नारायण डी तरफ से आशु मोरवार जी बिरेंद्र कुमार पिता श्री मन्दलाल नारायण, हरिणा, बाघमारा, जिला - धनबाद ।

विषय:- आवासीय/भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं0 बी0डी0 - 42/16-17 संबंधी आपके आवेदन दिनांक 17/8/2016 के सम्बंध में।

महाशय,

आपके आवेदन दलील सं0- 2782, 957 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या 9934 II, 1734 II/16-17 जमाबन्दी सं0 2303, 2288 से निर्गत लगान रसीद वर्ष 16-17 की अग्निप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं नगर निवेशक/तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/ भवन संबंधी बी0डी0 केश नं0 42/16-17 के नक्शे की स्वीकृति प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि मौजा सं0 नावाडी 26 के अन्तर्गत खाता सं0 07, 09, 48, 81 प्लॉट सं0 16, 20, 22, 39 रकबा 1.80 एकड़ भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसंसी अभियंता श्री Kurnida Manojan की देख रेख में कार्यालय के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अद्योहस्ताक्षरी को कार्यालय की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 3 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अद्योहस्ताक्षरी को करायेंगे।

प्रबंध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलन निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे आप स्वीकृत नक्शे में दशायें नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे। माडा भवन विनियम के दायरे में आवासीय/ भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा स्वत्व अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिए भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है, निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भूस्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश राज्य सरकार/ नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों निदेशों एवं प्राक्धानों से स्वतः प्रभावित होगा।

प्लान्थ सतह तक निर्माण के बाद आवेदक सूचित करेंगे। तदनुसार अभियंता जाँच करेंगे उसके पश्चात ही आगे निर्माण कार्य किया जा सकेगा।

आवेदक द्वारा श्रम उपकर के मद में 01% कुल रू0 30,65,260/- जमा किया गया है।

साथ ही प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीकल संबंधित नक्शा भवन निर्माण के पूर्ण होते ही निश्चित रूप से जमा करें। स्ट्रैक्चर डिजाईन, सोयल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने से पहले या 60 दिनों के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें।

कार्यपालक अभियंता
30/9/16

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद ।

पत्रांक:- गठ नि क्रि 08-2020-103

धनबाद, दिनांक- 27/02/2020

सेवा में,

मालती रेसीडेन्सी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०,
चास बोकरो के तरफ से डायरेक्टर,
श्री अजय कुमार, पिता-श्री झरिनायक के तरफ से आमोखतार श्री विरेन्द्र कुमार,
पिता- श्री नन्दलाल नायक,
हरिणा, बाघमारा, जिला-धनबाद ।

विषय:- बी०डी० न० 42/16-17 मौजा 26 अंचल -चास जिला -बोकरो, खाता 07,09,48 एवं 81, प्लॉट स० 16,20,22,39,45,46,47,48,50,51,52 एवं 53 पर निर्मित भवन का पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय का पूर्णता प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि सभी उपकरणों एवं व्यवस्थाओं का संधारण भविष्य में भी करते रहेंगे।

विश्वासभाजन

प्रबन्ध निदेशक

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार,
धनबाद ।